

अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
GRANT No. 46-DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	21024,20,00		
पूरक	Supplementary	7,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		21024,27,00	20420,62,74
				-603,64,26
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1700,75,00		
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		1700,77,00	704,59,00
				-996,18,00
				363,77,87
				966,02,80

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"			
पेंशन तथा अन्य	Pensions and other			
सेवानिवृत्ति हितलाभ	Retirement Benefits			
मू.	O.	33333.00		
पु.	R.	11810.00		
			45143.00	44973.64
				-169.36

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat - Social Services			
मू.	O.	4100.00		
			4342.00	4200.81
पु.	R.	242.00		-141.19
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health			
मू.	O.	615115.00		
पू.	S.	4.00	669717.85	652875.40
पु.	R.	54598.85		-16842.45
मुख्य शीर्ष "2211" परिवार कल्याण	Major Head "2211" Family Welfare			
मू.	O.	838456.00		
पू.	S.	2.00	887746.39	883492.89
पु.	R.	49288.39		-4253.50
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	183800.00		
पू.	S.	1.00	1101.56	. .
पु.	R.	-182699.44		-1101.56
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	416597.00		
			449535.31	448068.63
पु.	R.	32938.31		-1466.68

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O.	6334.00		
पु.	R.	-2486.98	3847.02	3835.68
				-11.34
(I) 188978.00 लाख रु. का प्रावधान अट्ठावन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 187882.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-	(I) Provision of Rs.188978.00 lakhs remained wholly unutilised under fifty eight heads; of these Rs.187882.00 lakhs accounted for under the following major heads:-			
(का) मुख्य शीर्ष "2210" - "लोक स्वास्थ्य - अन्य व्यय - स्वास्थ्य बीमा (शहरी स्वास्थ्य मिशन)" - 4400.00 लाख रु.; और	(A) Major Head "2210" - "Public Health - Other Expenditure - Health Insurance (Urban Health Mission)" - Rs.4400.00 lakhs; and			
(खा) मुख्य शीर्ष "2211" - "अन्य सेवाएं और पूर्तियां - सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजनाएं" - 140.00 लाख रु.।	(B) Major Head "2211" - "Other Services and Supplies - Social Marketing Area Projects" - Rs.140.00 lakhs.			
उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को कार्यान्वित न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।	Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-implementation of the scheme.			
(गा) मुख्य शीर्ष "2552"	(C) Major Head "2552" -			
(क) "परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य" -	(a) "FW - Reproductive and Child Health" -			
(i) "राज्य पी आई पी के लिए आर सी एच लचीला पूल" - 49651.00 लाख रु. पूर्वोत्तर राज्यों में कम अवशोषक क्षमता होने के कारण थे।	(i) "RCH Flexible Pool for State PIPs" - Rs.49651.00 lakhs - due to low absorbing capacity in the North Eastern States.			
(ii) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम (प्रचालन लागत)" - 2767.00 लाख रु.;	(ii) "Pulse Polio Immunisation Programme (Operating Cost)" - Rs.2767.00 lakhs;			

- | | |
|--|--|
| (iii) "नेमी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन की आपूर्ति" - 2600.00 लाख रु.; | (iii) "Supply of Vaccine under Routine Immunisation Programme" – Rs.2600.00 lakhs; |
| (iv) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन की आपूर्ति" - 2038.00 लाख रु. | (iv) "Supply of Vaccine under Pulse Polio Immunisation Programme" – Rs.2038.00 lakhs; |
| (v) "वैक्सीन आदि को छोड़कर औषधियों और उपस्करों की आपूर्ति" - 1000.00 लाख रु.; | (v) Supply of Drugs and Equipments Other than Vaccines etc." – Rs.1000.00 lakhs; |
| (ख) "परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन"- | (b) "FW – Direction and Administration" – |
| (i) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय" - 239.00 लाख रु.; | (i) "Regional Health Offices" – Rs.239.00 lakhs; |
| (ii) "राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव" - 3360.00 लाख रु.; | (ii) "Maintenance of State/Distt. FW Bureau" – Rs.3360.00 lakhs; |
| (ग) "परिवार कल्याण - प्रशिक्षण" - | (c) "FW – Training" – |
| (i) "ए एन एम/एलएचवी का प्रशिक्षण" - 700.00 लाख रु.; | (i) "Training of ANM/LHVs" – Rs.700.00 lakhs; |
| (ii) "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र" - 160.00 लाख रु.; | (ii) "Health and FW Training Centres" – Rs.160.00 lakhs; |
| (घ) "परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप-केंद्र" - 15700.00 लाख रु.; | (d) "FW – Rural Family Welfare Services – Sub-Centres" – Rs.15700.00 lakhs; |
| (ङ) "परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण केन्द्र" - 330.00 लाख रु.; | (e) "FW – Urban Family Welfare Services – Urban Family Welfare Centres" – Rs.330.00 lakhs; |
| (च) "परिवार कल्याण - जन शिक्षा" - | (f) "FW – Mass Education" – |
| (i) "सूचना, शिक्षा और संचार - आरसीएच" - 1689.00 लाख रु.; | (i) "Information, Education and Communication – RCH" – Rs.1689.00 lakhs; |
| (ii) "सूचना, शिक्षा और संचार - गैर आरसीएच" - 200.00 लाख रु.; | (ii) "Information, Education and Communication – Non-RCH" – Rs.200.00 lakhs; |

- (छ) "परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं एवं पूर्तियां" -
- (i) "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क पूर्ति" - 300.00 लाख रु.;
- (ii) "गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन" - 375.00 लाख रु.;
- (ज) "परिवार कल्याण - अन्य व्यय - मिशन लचीला पूल" - 53360.00 लाख रु.;
- (झ) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना" - 500.00 लाख रु.;
- (ञ) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी" -
- (i) "इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग" - 5901.00 लाख रु. (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे;
- (ii) "राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम" - 1800.00 लाख रु.;
- (iii) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल" - 7000.00 लाख रु.;
- (iv) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर" - 3600.00 लाख रु.;
- (v) "क्षेत्रीय पराचिकित्सा और परिचर्या विज्ञान संस्थान, आईजोल" - 1700.00 लाख रु.;
- (ट) "लोक स्वास्थ्य - प्रशिक्षण - परिचर्या सेवाओं का विकास" - 300.00 लाख रु.;
- (ठ) "लोक स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण" -
- (g) "FW – Other Services and Supplies" –
- (i) "Free Supply of FP Material to States/ UTs" – Rs.300.00 lakhs;
- (ii) "Social Marketing of Contraceptives" – Rs.375.00 lakhs;
- (h) "FW – Other Expenditure - Mission Flexible Pool" – Rs.53360.00 lakhs;
- (i) "Urban Health Services – Allopathy – Central Government Health Scheme – Setting up of Dispensaries and Hospitals" – Rs.500.00 lakhs;
- (j) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" –
- (i) "North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong" – Rs.5901.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2010);
- (ii) "National Cancer Control Programme" – Rs.1800.00 lakhs;
- (iii) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" – Rs.7000.00 lakhs;
- (iv) "Lokpriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" – Rs.3600.00 lakhs;
- (v) "Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Aizawal" – Rs.1700.00 lakhs;
- (k) "Public Health – Training – Development of Nursing Services" – Rs.300.00 lakhs;
- (l) "Public Health – Prevention and Control of Diseases" –

- (i) "राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - 4222.00 लाख रु.;
- (ii) "राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम" - 450.00 लाख रु.;
- (iii) "राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम" - 1600.00 लाख रु.;
- (iv) "राष्ट्रीय अंधता और रोहा नियंत्रण कार्यक्रम" - 2500.00 लाख रु.;
- (v) "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" - 13700.00 लाख रु.;
- (vi) "राष्ट्रीय आईडीडी नियंत्रण कार्यक्रम" - 300.00 लाख रु.;
- (vii) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" - 1000.00 लाख रु.;
- (ड) "लोक स्वास्थ्य - अन्य व्यय" -
- (i) "राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम" - 300.00 लाख रु.;
- (ii) "अभिघात केन्द्रों संबंधी क्षमता निर्माण के लिए सहायता" - 1400.00 लाख रु.;
- (iii) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन" - 200.00 लाख रु.;
- (iv) "तंबाकू मुक्ति संबंधी पहल" - 600.00 लाख रु.;
- (v) "राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवस्कुलर रोग और हृदयघात के रोकथाम और नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम" - 300.00 लाख रु.;
- (vi) "जिला अस्पताल" - 400.00 लाख रु.;
- (vii) "स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन" - 500.00 लाख रु.;
- और
- (i) "National Vector Borne Disease Control Programme" – Rs.4222.00 lakhs;
- (ii) "National Leprosy Control Programme" – Rs.450.00 lakhs;
- (iii) "National T.B. Control Programme" – Rs.1600.00 lakhs;
- (iv) "National Blindness and Trachoma Control Programme" – Rs.2500.00 lakhs;
- (v) "National AIDS Control Programme" – Rs.13700.00 lakhs;
- (vi) "National IDD Control Programme" – Rs.300.00 lakhs;
- (vii) "National Mental Health Programme" – Rs.1000.00 lakhs;
- (m) "Public Health – Other Expenditure" –
- (i) "National Integrated Diseases Surveillance Programme" – Rs.300.00 lakhs;
- (ii) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" – Rs.1400.00 lakhs;
- (iii) "Health Sector Disaster Preparedness and Management" – Rs.200.00 lakhs;
- (iv) "Tobacco Free Initiatives" – Rs.600.00 lakhs;
- (v) "National Programme for Prevention and Control of Diabetes, Cardiovascular Disease and stroke" – Rs.300.00 lakhs;
- (vi) "District Hospitals" – Rs.400.00 lakhs;
- (vii) "Human Resources for Health" – Rs.500.00 lakhs; and

(viii) "स्वास्थ्य बीमा (शहरी स्वास्थ्य मिशन)" - 600.00 लाख रु.।

उपर्युक्त सैंतीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय" - 235.26 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अस्पताल और औषधालय - केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची" - 152.65 लाख रु. की बचत (3620.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और छात्रवृत्ति के लिए कम आवेदन पत्र प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "अन्य व्यय - निगरानी समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर खर्च होने वाला व्यय" - 2000.50 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी" -

(क) "कैंसर अनुसंधान" - 4620.61 लाख रु. की बचत (8605.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने, क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और रेडियो थैरपी सुविधाओं के

(viii) "Health Insurance (Urban Health Mission)" - Rs.600.00 lakhs.

Provisions under the above thirty seven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Allopathy" -

(a) "Direction and Administration - Directorate General of Health Services" - saving of Rs.235.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(b) "Hospitals and Dispensaries - Central Institute of Psychiatry, Ranchi" - saving of Rs.152.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3620.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less applications for scholarship.

(c) "Other Expenditure - Expenditure to be incurred on Institutions of higher learning as per Oversight Committee" - saving of Rs.2000.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the institutions of higher learning.

(B) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(a) "Cancer Research" - saving of Rs.4620.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8605.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, receipt

लिए व्यय वित्त समिति द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

- (ख) “अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान, मैसूर” - 215.50 लाख रु. की बचत (2700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।
- (ग) “डा. राम मनोहर लोहिया, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, नई दिल्ली” - 503.84 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (घ) “एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पताल और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन” - 13533.28 लाख रु. की बचत (14800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।
- (गा) “लोक स्वास्थ्य” -
- (क) “बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण” -
- (i) “राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम” - 7380.86 लाख रु. की बचत (44111.65 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम पूर्तियों और सामग्रियों की अधिप्राप्ति होने, कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (ii) “आयोडीन की कमी से होने वाली विकृतियों को नियंत्रित करने संबंधी कार्यक्रम” - 1308.45 लाख रु. की बचत (3270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

of less proposals from Regional Cancer Centre and non-finalisation of proposals by Expenditure Finance Committee for Radio-therapy facilities.

- (b) “Grants to All India Institute of Speech and Hearing, Mysore” – saving of Rs.215.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the institute.
- (c) “Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research, New Delhi” – saving of Rs.503.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.
- (d) “Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals” – saving of Rs.13533.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14800.00 lakhs) was due to slow pace of implementation of the scheme.
- (C) “Public Health” –
- (a) “Prevention and Control of Diseases” –
- (i) “National Vector Borne Diseases Control Programme” – saving of Rs.7380.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.44111.65 lakhs) was due to procurement of less supplies and materials, receipt of less proposals from implementing agencies and economy measures.
- (ii) “Iodine Deficiency Disorders Control Programme” – saving of Rs.1308.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3270.00 lakhs); and

(iii) "राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम" - 506.54 लाख रु. की बचत (3400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और उनके पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(iv) "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" - 8197.75 लाख रु. की बचत (124300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने और परिवार नियोजन सामग्री की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(v) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" - 840.56 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और मीडिया अभियान की विलंब से शुरुआत होने के कारण हुई।

(ख) "खाद्य अपमिश्रण रोकथाम - खाद्य अपमिश्रण का प्रशासन और रोकथाम" - 312.41 लाख रु. की बचत (585.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रोकथाम और खाद्य अपमिश्रण प्रभाग का विलय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के साथ किए जाने के कारण हुई।

(ग) "सेरा/वैक्सीन का विनिर्माण" -

(i) "बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई" - 1276.43 लाख रु. की बचत (1750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और पूर्तियों और मशनरी उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(iii) "National Leprosy Control Programme" – saving of Rs.506.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3400.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of sufficient proposals from the implementing agencies and availability of unspent balances with them.

(iv) "National AIDS Control Programme" – saving of Rs.8197.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.124300.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the State AIDS Control Societies and procurement of less family planning material.

(v) "National Mental Health Programme" – saving of Rs.840.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of proposals from State implementing agencies, non-receipt of utilisation certificates and late start of media campaign.

(b) "Prevention of Food Adulteration – Administration and Prevention of Food Adulteration" – saving of Rs.312.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.585.00 lakhs) was due to merger of Prevention and Food Adulteration Division with Food Safety Authority.

(c) "Manufacture of Sera/Vaccine" –

(i) "B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai" – saving of Rs.1276.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1750.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards procurement of supplies and machinery equipments.

(ii) “भारतीय पैश्च्योर संस्थान, कुन्नूर को अनुदान” - 289.00 लाख रु. की बचत (1415.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) “लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं”-

(i) “राष्ट्रीय जीव वैज्ञानिक संस्थान, नोएडा” - 400.00 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत संस्थानों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ii) “केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली” - 992.35 लाख रु. की बचत (3900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और पूर्तियों और मशीनरी उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ङ) “लोक स्वास्थ्य शिक्षा - अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता” - 283.90 लाख रु. की बचत (1945.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(च) “अन्य व्यय” -

(i) “स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन” - 596.93 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपदा तैयारियों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ii) “तंबाकू मुक्ति संबंधी पहल” - 759.66 लाख रु. की बचत (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्रीय केन्द्रों में दूरदर्शन पर तंबाकू विरोधी स्पॉट के प्रसारण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ii) “Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor” – saving of Rs.289.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1415.00 lakhs); and

(d) “Public Health Laboratories” –

(i) “National Institute of Biological, Noida (U.P.)” – saving of Rs.400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances with institutes.

(ii) “Central Research Institute, Kasauli” – saving of Rs.992.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3900.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards procurement of supplies and machinery equipments.

(e) “Public Health Education – All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata” – saving of Rs.283.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1945.00 lakhs) was due to economy measures.

(f) “Other Expenditure” –

(i) “Health Sector Disaster Preparedness and Management” – saving of Rs.596.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to requirement of less funds for Disaster Preparedness.

(ii) “Tobacco Free Initiatives” – saving of Rs.759.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards telecast of Anti-Tobacco Spot in Regional Centres on Doordarshan.

- (iii) "हज यात्रियों को टीका लगाने के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की अधिप्राप्ति" - 324.11 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैक्सीन की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (iv) "केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत नई पहल" - 6468.44 लाख रु. की बचत (8349.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई पहलों के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।
- (v) "अभिघात केन्द्रों के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता" - 5434.00 लाख रु. की बचत (10700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।
- (vi) "एकीकृत बीमारी निगरानी परियोजना" - 548.63 लाख रु. की बचत (4550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निष्पादन एजेंसियों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और उनके पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।
- (vii) "जिला अस्पताल" - 2000.00 लाख रु. की बचत (3600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को विलंब से कार्यान्वित किए जाने के कारण हुई।
- (viii) "स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन" - 2976.72 लाख रु. की बचत (4700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (घ) "सामान्य" -
- (क) "स्वास्थ्य सांख्यिकी और मूल्यांकन - स्वास्थ्य सूचना और निगरानी प्रणालियों का सुदृढीकरण" - 280.57 लाख रु. की बचत (325.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदाता कम संख्या में रखे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (iii) "Procurement of Meningitis Vaccine for Innoculation of Haj Pilgrims" – saving of Rs.324.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of vaccine.
- (iv) "New Initiatives under Central Schemes" – saving of Rs.6468.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8349.00 lakhs) was due to slow pace of implementation of New Initiatives.
- (v) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" – saving of Rs.5434.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10700.00 lakhs) was due to slow pace of implementation of the scheme.
- (vi) "Integrated Disease Surveillance Project" – saving of Rs.548.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4550.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from the implementing agencies and availability of unspent balances.
- (vii) "District Hospitals" – saving of Rs.2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3600.00 lakhs) was due to delayed implementation of the scheme.
- (viii) "Human Resources for Health" – saving of Rs.2976.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4700.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of proposals.
- (D) "General" –
- (a) "Health Statistics and Evaluation – Strengthening of Health Information and Monitoring Systems" – saving of Rs.280.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.325.00 lakhs) was due to engagement of less consultants and economy measures.

(ख) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग” -

- (i) “अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए सदस्यता” - 187.84 लाख रु.की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- (ii) “अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधिमंडल” - 114.19 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (iii) “विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को अंशदान” - 365.57 लाख रु. की बचत (1419.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष “2211” - के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “निदेशन और प्रशासन” -

- (क) “बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय” - 242.19 लाख रु. की बचत (673.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ख) “क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय” - 309.44 लाख रु. की बचत (2382.40 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (खा) “प्रशिक्षण” -
- (क) “ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़” - 236.11 लाख रु. की बचत (996.75 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(b) “International Co-operation” -

- (i) “Membership for International Organisation” - saving of Rs.187.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs);
- (ii) “Delegations to International Health Conferences” - saving of Rs.114.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs); and
- (iii) “Contribution to World Health Organisation and Other International Agencies” - saving of Rs.365.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1419.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to variation in foreign exchange rates.

(III) Under Major Head “2211” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration” -

- (a) “Expenditure in Union Territories without legislature” - saving of Rs.242.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.673.00 lakhs);
- (b) “Regional Health Offices” - saving of Rs.309.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2382.40 lakhs); and
- (B) “Training” -
- (a) “Rural Health Training Centre, Najafgarh” - saving of Rs.236.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.996.75 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

- (ख) “राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली” - 128.83 लाख रु. की बचत (दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 3514.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण कार्यक्रम कम संख्या में आयोजित किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई” - 8430.00 लाख रु. की बचत (9860.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुदृढीकरण परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और भवन निर्माण में विलम्ब होने के कारण हुई।
- (गा) “अनुसंधान एवं मूल्यांकन - जनसांख्यिकीय और अन्य संचार अनुसंधान” - 227.13 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।
- (घा) “जन शिक्षा” -
- (क) “मुख्यालय में कार्यकलाप” - 197.65 लाख रु. की बचत (2045.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (ख) “जन डाक स्कीम” - 300.92 लाख रु. की बचत (544.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “पीएनडीटी अधिनियम के संबंध में सूचना, शिक्षा और संचार” - 703.11 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (घ) “अन्य प्रचार कार्यकलाप” - 111.00 लाख रु. की बचत (121.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- (b) “National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi” – saving of Rs.128.83 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3514.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in December, 2009) was due to conducting of less number of training programmes.
- (c) “International Institute for Population Sciences, Mumbai” – saving of Rs.8430.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9860.00 lakhs) was due to non-finalisation of strengthening projects and delay in construction of building.
- (C) “Research and Evaluation – Demographic and Other Communication Research” – saving of Rs.227.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to slow pace of implementation of the scheme.
- (D) “Mass Education” –
- (a) “Activities at Headquarters” – saving of Rs.197.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2045.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertisement and publicity.
- (b) “Mass Mailing Scheme” – saving of Rs.300.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.544.10 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.
- (c) “Information, Education and Communication on PNDDT Act” – saving of Rs.703.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs); and
- (d) “Other Publicity Activities” – saving of Rs.111.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.121.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ड) “सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाईयों के द्वारा व्यय” - 129.73 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मीडिया इकाईयों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ड) “चयनित क्षेत्र कार्यक्रम (भारत जनसंख्या परियोजना सहित)” -

(क) “अमेरिका सहायता प्राप्त परियोजना - एसआईएफपीएसए, उ0प्र0, लखनऊ” - 3803.60 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानदंड प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(ख) “स्वायत्त/स्वैच्छिक संगठन/सोसाइटियों के माध्यम से परियोजनाएं” - 667.53 लाख रु. की बचत (1251.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(चा) “प्रजनन और बाल स्वास्थ्य” -

(क) “आरसीएच में प्रशिक्षण” - 142.16 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “आरसीएच में अनुसंधान और अध्ययन कार्यक्रम” - 182.34 लाख रु. की बचत (240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीमों के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ग) “नेमी टीकाकरण कार्यक्रम” - 14528.00 लाख रु. की बचत (41421.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार द्वारा पेंटावैलेंट वैक्सीन स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और पुनः निविदा किए जाने के कारण कोल्ड चेन उपकरणों और नेमी वैक्सीन की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to slow pace of implementation of the scheme.

(e) “Expenditure through Media Units of Ministry of Information and Broadcasting” – saving of Rs.129.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Media Units.

(E) “Selected Area Programmes (including India Population Project)” –

(a) “USAID assisted Project-SIFPSA, U.P., Lucknow” – saving of Rs.3803.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-achievement of benchmarks.

(b) “Projects through Autonomous/Voluntary Organisation/Societies” – saving of Rs.667.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1251.00 lakhs);

(F) “Reproductive and Child Health” –

(a) “Training in RCH” – saving of Rs.142.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs); and

(b) “Research and Study activities in RCH” – saving of Rs.182.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.240.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to slow pace of implementation of the schemes.

(c) “Routine Immunisation Programme” – saving of Rs.14528.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.41421.00 lakhs) was due to non-approval of the Pentavalent vaccine scheme by the Government and less procurement of Cold Chain Equipments and Routine Vaccine on account of retendering.

- (घ) “बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में वैक्सीनों आदि की पूर्ति पर व्यय” - 262.87 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम वैक्सीन की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।
- (छा) “अन्य सेवाएं और पूर्तियां” -
- (क) “गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन” - 1664.25 लाख रु. की बचत (3850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिवार नियोजन सामग्री और विज्ञापन की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (ख) “परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क पूर्ति” - 2316.35 लाख रु. की बचत (6520.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिवार नियोजन सामग्री की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।
- (जा) “अन्य व्यय” -
- (क) “राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग” - 340.95 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों का शामिल होना - पीपीपी” - 741.60 लाख रु. की बचत (915.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ग) “प्रबन्धन सूचना प्रणाली” - 2931.48 लाख रु. की बचत (6452.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत स्कीम की धीमी प्रगति होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।
- (IV) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-
- (d) “Expenditure on Supply of Vaccines etc. in UTs without legislature” – saving of Rs.262.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to procurement of less vaccine.
- (G) “Other Services and Supplies” –
- (a) “Social Marketing of Contraceptives” – saving of Rs.1664.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3850.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of family planning material and advertisement.
- (b) “Free Supply of FP Material” – saving of Rs.2316.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6520.00 lakhs) was due to procurement of less family planning material.
- (H) “Other Expenditure” –
- (a) “National Commission on Population” – saving of Rs.340.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.
- (b) “Involvement of NGOs in FP Programme under Public-Private Partnership-PPP” – saving of Rs.741.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.915.00 lakhs); and
- (c) “Management Information System” – saving of Rs.2931.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6452.00 lakhs).
- Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage owing to slow progress of the scheme.

(IV) Under Major Head “3601” – savings occurred under the following heads:-

(का) “केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय आईडीडी नियंत्रण कार्यक्रम” - 250.09 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(क) “परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं” -

(i) “शहरी परिवार कल्याण केंद्र” - 579.32 लाख रु. की बचत (7324.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) “शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का पुनर्गठन” - 295.00 लाख रु. की बचत (6724.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(ख) “परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और पूर्तियां - परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क पूर्ति” - 2512.52 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्तियों के लिए कम दावे प्राप्त हाने की वजह से कम समायोजन किए जाने के कारण हुईं।

(ग) “परिवार कल्याण - प्रशिक्षण” -

(i) “एएनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण” - 627.23 लाख रु. की बचत (6528.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र” - 129.95 लाख रु. की बचत (1460.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) “एमपीडब्ल्यू का प्रशिक्षण” - 115.02 लाख रु. की बचत (940.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) “Grants for Central Plan Schemes – Public Health - Prevention and Control of Diseases – National IDD Control Programme” – saving of Rs.250.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs);

(B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” –

(a) “Family Welfare – Urban Family Welfare Services” –

(i) “Urban FW Centres” – saving of Rs.579.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7324.00 lakhs); and

(ii) “Revamping of Urban FW Centres” – saving of Rs.295.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6724.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-approval of empowered Programme Committee.

(b) “Family Welfare – Other Services and Supplies – Free Supply of FP Material” – saving of Rs.2512.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to less adjustment owing to receipt of less claims towards supplies.

(c) “Family Welfare – Training” –

(i) “Training of ANM/LHVs” – saving of Rs.627.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6528.00 lakhs);

(ii) “Health and FW Training Centre” – saving of Rs.129.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1460.00 lakhs);

(iii) “Training of MPWs” – saving of Rs.115.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.940.00 lakhs); and

- (घ) “परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/ जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव” - 1344.29 लाख रु. की बचत (28612.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।
- (d) “Family Welfare – Direction and Administration – Maintenance of State/ Distt. FW Bureaux” – saving of Rs.1344.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28612.00 lakhs).
- बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत स्कीम की धीमी प्रगति होने के कारण संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।
- Savings under the above four heads were due to reduction of provision at revised estimates stage owing to slow progress of the scheme.
- (ङ) “परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - नेमी टीकाकरण कार्यक्रम” - 2523.11 लाख रु. की बचत (37021.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोल्ड चेन उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए पुनः निविदा किए जाने के वजह से स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।
- (e) “Family Welfare – Reproductive and Child Health – Routine Immunisation Programme” – saving of Rs.2523.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.37021.00 lakhs) was due to slow pace of implementation of the scheme owing to retendering for procurement of Cold Chain equipments.
- (च) “लोक स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम” -
- (f) “Public Health – Prevention and Control of Diseases” –
- (i) “राष्ट्रीय वैक्टर वाहित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम (शहरी)” - 1629.21 लाख रु. की बचत (1954.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (i) “National Vector Borne Diseases Control Programme (Urban)” – saving of Rs.1629.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1954.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards implementation of the scheme.
- (ii) “राष्ट्रीय वैक्टर वाहित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (ई.ए.सी.)” - 5554.16 लाख रु. की बचत (14126.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और सामान और औषधियों का कम समायोजन किए जाने के कारण हुई ।
- (ii) “National Vector Borne Diseases Control Programme (Rural) (E.A.C.)” – saving of Rs.5554.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14126.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards implementation of the scheme and less adjustment of commodities and drugs.
- (V) मुख्य शीर्ष “3602” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-
- (V) Under Major Head “3602” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” – savings occurred under the following heads:-
- (का) “परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं” -
- (A) “Family Welfare – Urban Family Welfare Services” –

- (क) “शहरी परिवार कल्याण केन्द्र” - 720.54 लाख रु. की बचत (1220.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ख) “शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का पुनर्गठन” - 215.62 लाख रु. की बचत (360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (खा) “परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव” - 283.49 लाख रु. की बचत (780.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (गा) “परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - नेमी टीकाकरण कार्यक्रम” - 869.80 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(VI) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत 815.32 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किन्तु 100.00 लाख रु. से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (142451.90 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में 6.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध के द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2071” - “सिविल - सीजीएचएस पेंशनरों का चिकित्सीय उपचार - केन्द्रीय सरकार पेंशनर” - 11810.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, 11640.64 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष “2210” -

(क) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी” -

(a) “Urban FW Centres” – saving of Rs.720.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1220.00 lakhs);

(b) “Revamping of Urban FW Centres” – saving of Rs.215.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360.00 lakhs);

(B) “Family Welfare – Direction and Administration – Maintenance of State/Distt. FW Bureaux” – saving of Rs.283.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.780.00 lakhs); and

(C) “Family Welfare – Reproductive and Child Health - Routine Immunisation Programme” – saving of Rs.869.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to slow pace of implementation of the scheme.

(VI) Under eleven heads savings of Rs.815.32 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 14 percent to 92 percent of the sanctioned provision.

2. (I) The above savings were partly (Rs.142451.90 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.6.00 lakhs in December, 2009 and March, 2010 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head “2071” – “Civil- Medical Treatment of CGHS Pensioners – Central Govt. Pensioners” – Rs.11810.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.11640.64 lakhs.

(B) Major Head “2210” –

(a) “Urban Health Services – Allopathy” –

- (i) “केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों/ अस्पतालों की स्थापना” - 12333.90 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 11894.27 लाख रु. था।
- (ii) “अस्पताल और औषधालय” -
- (1) “सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली” - 9294.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 9157.54 लाख रु. था।
- (2) “डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली” - 4910.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4895.94 लाख रु. था।
- (ख) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी” -
- (i) “बल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को अनुदान” - 300.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 200.00 लाख रु. था।
- (ii) “लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली” - 2575.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2502.61 लाख रु. था।
- (iii) “अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली” - 21039.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 20951.00 लाख रु. था।
- (iv) “राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोविज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान” - 769.00 लाख रु.।
- (v) “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान” - 700.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 699.00 लाख रु. था।
- (vi) “राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली” - 110.97 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 102.63 लाख रु. था।
- (i) “Central Government Health Scheme – Setting up of Dispensaries/ Hospitals” – Rs.12333.90 lakhs. Actual excess, however, was Rs.11894.27 lakhs.
- (ii) “Hospitals and Dispensaries” –
- (1) “Safdarjung Hospital, New Delhi” – Rs.9294.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.9157.54 lakhs.
- (2) “Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi” – Rs.4910.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4895.94 lakhs.
- (b) “Medical Education, Training and Research – Allopathy” –
- (i) “Grants to Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi” – Rs.300.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.200.00 lakhs.
- (ii) “Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital, New Delhi” – Rs.2575.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2502.61 lakhs.
- (iii) “All India Institute of Medical Sciences, New Delhi” – Rs.21039.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.20951.00 lakhs.
- (iv) “Grants to National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore” – Rs.769.00 lakhs.
- (v) “Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh” – Rs.700.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.699.00 lakhs.
- (vi) “Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi” – Rs.110.97 lakhs. Actual excess, however, was Rs.102.63 lakhs.

- (vii) "कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, वर्धा को सेवाग्राम में मेडिकल कालेज के लिए अनुदान" - 560.00 लाख रु.।
- (viii) "इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग को अनुदान" - 6500.00 लाख रु.।
- (ix) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल" - 10970.00 लाख रु.
- (ग) "लोक स्वास्थ्य" -
- (i) "प्रशिक्षण" -
- (1) "केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंग्लेपट्टु" - 115.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 100.93 लाख रु. था।
- (2) "क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर" - 70.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 62.07 लाख रु. था।
- (3) "क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर" - 99.07 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 95.84 लाख रु. था।
- (ii) "बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण" -
- (1) "राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान, दिल्ली" - 1178.26 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 977.71 लाख रु. था।
- (2) "राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम" - 3508.37 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3443.95 लाख रु. था।
- (3) "राष्ट्रीय नशीली दवा व्यसनरोधी कार्यक्रम" - 130.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 117.64 लाख रु. था।
- (vii) "Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram" – Rs.560.00 lakhs.
- (viii) "Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong" – Rs.6500.00 lakhs.
- (ix) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" – Rs.10970.00 lakhs.
- (c) "Public Health" –
- (i) "Training" –
- (1) "Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chenglepattu" – Rs.115.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.100.93 lakhs.
- (2) "Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur" – Rs.70.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.62.07 lakhs.
- (3) "Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur" – Rs.99.07 lakhs. Actual excess, however, was Rs.95.84 lakhs.
- (ii) "Prevention and Control of Diseases" –
- (1) "National Institute of Communicable Diseases, Delhi" – Rs.1178.26 lakhs. Actual excess, however, was Rs.977.71 lakhs.
- (2) "National T.B. Control Programme" – Rs.3508.37 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3443.95 lakhs.
- (3) "National Drugs De-addiction Programme" – Rs.130.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.117.64 lakhs.

- (iii) "खाद्य अपमिश्रण रोकथाम - खाद्य सुरक्षा और भारत मानक प्राधिकरण" - 1000.00 लाख रु.।
- (iv) "औषध नियंत्रण - केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन" - 744.44 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 518.41 लाख रु. था।
- (v) "अन्य व्यय - लाला रामस्वरूप क्षय रोग और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली" - 1176.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1153.60 लाख रु. था।
- (गा) मुख्य शीर्ष "2211" -
- (क) "प्रजनन और बाल स्वास्थ्य" -
- (i) "औषधियों और उपकरणों (वैक्सीनों आदि को छोड़कर) की अधिप्राप्ति" - 3335.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3266.23 लाख रु. था।
- (ii) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम" - 1898.73 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1898.65 लाख रु. था।
- (ख) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत उपाय" - 1233.00 लाख रु.।
- (घा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -
- (क) "परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप-केंद्र" - 31474.04 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 31473.82 लाख रु. था।
- (ख) "परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य" -
- (i) "आर सी एच औषधियां और उपकरणों की पूर्ति" - 6990.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 6988.05 लाख रु. था।
- (iii) "Prevention of Food Adulteration – Food Safety and Standards Authority of India" – Rs.1000.00 lakhs.
- (iv) "Drugs Control – Central Drugs Standards Control Organisation" – Rs.744.44 lakhs. Actual excess, however, was Rs.518.41 lakhs.
- (v) "Other Expenditure – Grants to Lala Ram Sarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi" – Rs.1176.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1153.60 lakhs.
- (C) Major Head "2211" –
- (a) "Reproductive and Child Health" –
- (i) "Procurement of Drugs and Equipments (other than Vaccines etc.)" – Rs.3335.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3266.23 lakhs.
- (ii) "Pulse Polio Immunisation Programme" – Rs.1898.73 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1898.65 lakhs.
- (b) "Other Expenditure – Measures under National Population Policy" – Rs.1233.00 lakhs.
- (D) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –
- (a) "Family Welfare – Rural Family Welfare Services - Sub-Centres" – Rs.31474.04 lakhs. Actual excess, however, was Rs.31473.82 lakhs.
- (b) "Family Welfare – Reproductive and Child Health" –
- (i) "Supply of RCH Drugs and Equipments" – Rs.6990.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.6988.05 lakhs.

- (ii) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम" - 7627.62 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7627.28 लाख रु. था।
- (ii) "Pulse Polio Immunisation Programme" – Rs.7627.62 lakhs. Actual excess, however, was Rs.7627.28 lakhs.
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-
- (का) मुख्य शीर्ष "2251" - सचिवालय - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग" - 102.60 लाख रु. का अधिक व्यय (4080.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (A) Major Head "2251" – "Secretariat – Department of Health and Family Welfare" – excess of Rs.102.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4080.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of Sixth Central Pay Commission Report.
- (खा) मुख्य शीर्ष "2210" -
- (B) Major Head "2210" -
- (क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी" -
- (a) "Urban Health Services – Allopathy" -
- (i) "निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय" - 407.88 लाख रु. का अधिक व्यय (1831.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और पत्रिकाओं की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (i) "Direction and Administration – National Medical Library" – excess of Rs.407.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1831.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of Sixth Central Pay Commission Report and purchase of Journals.
- (ii) "अस्पताल और औषधालय" -
- (ii) "Hospitals and Dispensaries" –
- (1) "अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई" - 136.98 लाख रु. का अधिक व्यय (1050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, विज्ञापनों और वस्तुओं/सेवाओं की लागत में बढ़ोतरी होने की वजह से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (1) "All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai" – excess of Rs.136.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1050.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of Sixth Central Pay Commission Report, advertisements and increase in cost of articles/services.
- (2) "कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली" - 435.15 लाख रु. का अधिक व्यय (3700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और अस्पतालों/औषधालयों/संस्थाओं के लिए
- (2) "Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" – excess of Rs.435.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3700.00 lakhs) was due to requirement of additional funds

आवश्यक मदों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

towards implementation of Sixth Central Pay Commission Report and purchase of essential items for hospitals/dispensaries/institutions.

(ख) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी” -

(b) “Medical Education, Training and Research – Allopathy” –

(i) “लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर” - 3600.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(i) “Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur” – excess of Rs.3600.00 lakhs (against nil provision);

(ii) “क्षेत्रीय पराचिकित्सा और परिचर्या विज्ञान संस्थान, आईजोल” - 1700.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) “Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Aizawal” – excess of Rs.1700.00 lakhs (against nil provision);

(ग) “लोक स्वास्थ्य” -

(c) “Public Health” –

(i) “प्रशिक्षण - परिचर्या सेवाओं का विकास” - 255.23 लाख रु. का अधिक व्यय (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(i) “Training – Development of Nursing Services” – excess of Rs.255.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs); and

(ii) “बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण - रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम” - 2759.49 लाख रु. का अधिक व्यय (22500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(ii) “Prevention and Control of Diseases – Trachoma and Blindness Control Programme” – excess of Rs.2759.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22500.00 lakhs).

अधिक व्यय उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(iii) “अन्य व्यय” -

(iii) “Other Expenditure” –

(1) “राष्ट्रीय आरोग्य निधि” - 221.94 लाख रु. का अधिक व्यय (3200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों

(1) “Rashtriya Arogya Nidhi” – excess of Rs.221.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards

की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

- (2) “आपातकालीन चिकित्सा राहत (एवीअन फ्लू)” - 19515.59 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2010 में 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1001.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वाइन फ्लू को फैलने से रोकने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “2211” -

- (क) “निदेशन और प्रशासन - मुख्यालय में तकनीकी स्वंध” - 139.73 लाख रु. का अधिक व्यय (1065.75 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) “प्रजनन और बाल स्वास्थ्य” -

- (i) “मुख्यालय पर व्यय” - 168.90 लाख रु. का अधिक व्यय (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित दावों/देयताओं का निपटान किए जाने के कारण हुआ।
- (ii) “राज्य पीआईपी के लिए आरसीएच लचीला पूल” - 43181.77 लाख रु. का अधिक व्यय (304849.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) “अन्य व्यय - मिशन लचीला पूल” - 34716.42 लाख रु. का अधिक व्यय (303367.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) मुख्य शीर्ष “3601” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य संघटक)” - 909.34 लाख रु. का अधिक व्यय (8578.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

- (2) “Emergency Medical Relief (Avian Flu)” – excess of Rs.19515.59 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1001.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2010) was due to requirement of additional funds towards containment of outbreak of Swine Flu.

(C) Major Head “2211” –

- (a) “Direction and Administration – Technical Wing at Headquarters” – excess of Rs.139.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1065.75 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Sixth Central Pay Commission Report.

(b) “Reproductive and Child Health” –

- (i) “Expenditure at Headquarter” – excess of Rs.168.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to settlement of pending claims/liabilities.
- (ii) “RCH Flexible Pool for State PIPs” – excess of Rs.43181.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.304849.00 lakhs);

(c) “Other Expenditure – Mission Flexible Pool” – excess of Rs.34716.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.303367.00 lakhs); and

(D) Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Public Health – Prevention and Control of Diseases – National Vector Borne Disease Control Programme (Rural) (General Component)” – excess of Rs.909.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8578.00 lakhs).

अधिक व्यय उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 65.75 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of Rs.65.75 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health			
मू.	O. 148575.00	64155.00	61445.15	-2709.85
पू.	S. 1.00			
पु.	R. -84421.00			
मुख्य शीर्ष "4211" परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4211" Capital Outlay on Family Welfare			
मू.	O. 850.00	300.00	158.92	-141.08
पु.	R. -550.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing			
मू.	O. 20650.00	9019.20	8854.93	-164.27
पू.	S. 1.00			
पु.	R. -11631.80			

(I) 9793.00 लाख रु.का प्रावधान तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 9523.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "4210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य व्यय - निरीक्षण समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर किया जाने वाला व्यय" - 3500.00 लाख रु. प्रस्तावित पूंजीगत निर्माण कार्यों का मूर्त रूप न लेने के कारण थे।

(ख) "लोक स्वास्थ्य" -

(i) "रोगों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - 173.00 लाख रु. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण थे।

(ii) "अन्य कार्यक्रम" -

(1) "बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" - 300.00 लाख रु.;

(2) "राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र" - 200.00 लाख रु.; और

(3) "पराचिकित्सा संस्थान का सुदृढ़ीकरण/सृजन" - 1500.00 लाख रु. ।

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत निर्माण कार्य का मूर्त रूप न लेने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(4) "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" - 2000.00 लाख रु. निर्माण कार्य, मशीनरी और मोटर वाहनों से संबंधित प्रस्ताव का मूर्त रूप न लेने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.9793.00 lakhs remained wholly unutilised under thirteen heads; of these Rs.9523.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4210" -

(a) "Urban Health Services - Other Expenditure - Expenditure to be incurred on Institutions of higher learning as per Oversight Committee" - Rs.3500.00 lakhs - due to non-materialisation of the proposed capital works.

(b) "Public Health"-

(i) "Prevention and Control of Diseases - National Vector Borne Disease Control Programme" - Rs.173.00 lakhs - due to non-submission of bills by Central Public Works Department.

(ii) "Other Programmes" -

(1) "National Programme for Health Care for the Elderly" - Rs.300.00 lakhs;

(2) "National Centre for Disease Control" - Rs.200.00 lakhs; and

(3) "Strengthening/Creation of Paramedical Institute" - Rs.1500.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-materialisation of works.

(4) "National AIDS Control Programme" - Rs.2000.00 lakhs - due to non-materialisation of proposal for works, machinery and motor vehicles.

(खा) मुख्य शीर्ष "4211" - "अन्य व्यय - ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़" - 350.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - निरीक्षण समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर किया जाने वाला व्यय" - 1500.00 लाख रु. निर्माण कार्यों का मूर्त रूप न लेने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अस्पताल और औषधालय - डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" - 1505.76 लाख रु. की बचत (4430.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों और वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - एलोपैथी" -

(क) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल" - 1744.98 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "वर्धमान महावीर चिकित्सा कालेज, नई दिल्ली" - 907.00 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन" - 73985.84 लाख रु. की बचत (111992.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने और कम वाहनों की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(B) Major Head "4211" - "Other Expenditure - Rural Health Training Centre, Najafgarh" - Rs.350.00 lakhs - due to non-approval of scheme.

(C) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Expenditure to be incurred on Institutions of higher learning as per Oversight Committee"- Rs.1500.00 lakhs - due to non-materialisation of works.

(II) Under Major Head "4210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Hospitals and Dispensaries - Dr.Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" - saving of Rs.1505.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4430.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of equipments and vehicles.

(B) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(a) "Lady Hardinge Medical College and Smt.S.K.Hospital" - saving of Rs.1744.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs);

(b) "Vardhman Mahaveer Medical College, New Delhi" - saving of Rs.907.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs); and

(c) "Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals" - saving of Rs.73985.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.111992.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to slow pace of capital works and procurement of less vehicles.

(गा) "लोक स्वास्थ्य" -

(क) "बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री और उपस्कर की शोक खरीद" - 423.71 लाख रु. की बचत (950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बोलीकर्ताओं से कोई प्रतिक्रिया न आने की वजह से उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "लोक स्वास्थ्य शिक्षा - ए आई आई एच एवं पी एच, कोलकाता" - 606.26 लाख रु. की बचत (1030.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने और कम उपस्करों की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(ग) "अन्य कार्यक्रम - राष्ट्रीय खेलकूद दुर्घटना कार्यक्रम" - 1276.57 लाख रु. की बचत (5300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति/वाहनों/उपस्करों की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4211" - "अन्य व्यय - परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई" के अंतर्गत 341.08 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य भवन" के अंतर्गत बचतें बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल" - 431.62 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(खा) "एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन" - 9825.11 लाख रु. की बचत (18000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(C) "Public Health" -

(a) "Prevention and Control of Diseases - Bulk Purchase of Material and Equipment for National Tuberculosis Control Programme" - saving of Rs.423.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.950.00 lakhs) was due to non-procurement of equipments owing to no response from bidders.

(b) "Public Health Education - AIHHandPH, Kolkata" - saving of Rs.606.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1030.00 lakhs) was due to slow pace of capital works and procurement of less equipments.

(c) "Other Programmes - National Programme for Sports Injury" - saving of Rs.1276.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5300.00 lakhs) was due to slow progress of works/procurement of vehicles/equipments.

(III) Under Major Head "4211" - "Other Expenditure - Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai" - saving of Rs.341.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to slow progress of capital works.

(IV) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital" - saving of Rs.431.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs);

(B) "Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals" - saving of Rs.9825.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18000.00 lakhs); and

(गा) "सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" - 432.36 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 141.28 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 52 प्रतिशत तथा 95 प्रतिशत थीं।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2031.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मार्च, 2010 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) मुख्य शीर्ष "4210" - "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अस्पताल और औषधालय" -

(का) "कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली" - 135.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 115.43 लाख रु. था।

(खा) "सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" - 1000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 895.71 लाख रु. था।

(गा) "केन्द्रीय मनश्चिकित्सीय संस्थान, रांची" - 496.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 491.95 लाख रु. था।

(II) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य भवन - केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची" - 400.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 355.91 लाख रु. था।

(C) "Safdarjung Hospital, New Delhi" - saving of Rs.432.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to slow progress of implementation of the schemes.

(V) Under two heads savings of Rs.141.28 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 52 percent and 95 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly (Rs.2031.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in March, 2010 under the following major heads:-

(I) Major Head "4210" - "Urban Health Services - Hospitals and Dispensaries" -

(A) "Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" - Rs.135.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.115.43 lakhs.

(B) "Safdarjung Hospital, New Delhi" - Rs.1000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.895.71 lakhs.

(C) "Central Institute of Psychiatry, Ranchi" - Rs.496.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.491.95 lakhs.

(II) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Central Institute of Psychiatry, Ranchi" - Rs.400.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.355.91 lakhs.